

न्यायालय :- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)

श्रृंखला न्यायालय बैहर

(पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड़)

नियमित व्यवहार अपील क्र.-29 / 2017

संस्थित दिनांक -16.08.2017

फायलिंग नं.-आर.सी.ए. / 208 / 2017

सी.एन.आर. नं.-एम.पी.5005-001844 / 2017

1. बिसनलाल पिता स्व. केहरसिंह उम्र 58 वर्ष, जाति ओझा, साकिन बोदा (गढ़ी) तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. श्रीमती भागोबाई पति स्व. भोलाराम उम्र 65 वर्ष, जाति ओझा साकिन परसाटोला तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
3. श्रीमती भगोनाबाई पति स्व. चरणसिंह उम्र 60 वर्ष जाति ओझा साकिन अगनतरा तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
4. श्रीमती संपतियाबाई पति मेहतर उम्र 32 वर्ष जाति ओझा साकिन बोदा (गढ़ी) तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
5. श्रीमती हुलसियाबाई पति स्व. भगवानसिंह जाति ओझा, उम्र 58 वर्ष, साकिन भीमडोंगरी तहसील बिछिया जिला मंडला (म.प्र.)
6. चैतराम पिता स्व. भगवानसिंह, उम्र 38 वर्ष, जाति ओझा, साकिन भीमडोंगरी तहसील बिछिया जिला मंडला (म.प्र.)
7. हंसराम पिता स्व. भगवानसिंह, उम्र 35 वर्ष जाति ओझा साकिन भीमडोंगरी तहसील बिछिया जिला मंडला (म.प्र.)
8. श्रीमती सहबतियाबाई पति संतोष उम्र 30 वर्ष जाति ओझा, साकिन भीमडोंगरी तहसील बिछिया जिला मंडला (म.प्र.)
9. राजकुमार पिता स्व. भगवानसिंह, उम्र 29 वर्ष, जाति ओझा साकिन भीमडोंगरी तहसील बिछिया जिला मंडला (म.प्र.)

— — — — अपीलार्थी गण

— // / **विरुद्ध** // / —

1. श्रीमती गोंडिनबाई पति स्व. रतनसिंह उम्र 60 वर्ष, जाति अहीर, साकिन रम्हेपुर तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. सोमलाल पिता स्व. रतनसिंह उम्र 35 वर्ष जाति अहीर साकिन रम्हेपुर तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
3. मोहनलाल पिता स्व. रतनसिंह उम्र 30 वर्ष जाति अहीर, साकिन रम्हेपुर तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
4. श्रीमती बैसाखिनबाई पति स्व. बुद्धसिंह उम्र 65 वर्ष जाति अहीर, साकिन रम्हेपुर तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

5. बलदेव पिता स्व. बुद्धसिंह उम्र 30 वर्ष, जाति अहीर, साकिन रम्हेपुर तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
6. देवनसिंह पिता स्व. बुद्धसिंह, उम्र 40 वर्ष जाति अहीर, साकिन रम्हेपुर तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
7. रमेश पिता झामसिंह उम्र 35 वर्ष, जाति अहीर, साकिन रम्हेपुर तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
8. म0प्र0 राज्य तर्फे कलेक्टर जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — उत्तरवादीगण

=====

{न्यायालय: व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 बैहर जिला बालाघाट तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री डी.एस. मंडलोई द्वारा व्य.वाद क्रमांक 23ए/2014 बिसनलाल वगैरह बनाम गोडिनबाई वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.01.2015 से क्षुब्ध होकर धारा 96 व्य.प्र.सं. के तहत अपील पेश की है}

=====

श्री दीपक पंचभावे एवं श्रीमती रंजना पंचभावे अधिवक्तागण वास्ते अपीलार्थीगण।

श्री वाय0आर0 बिसेन अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादीगण।

=====

— / / / निर्णय / / / —

(आज दिनांक 07 दिसम्बर 2017 को घोषित)

1. अपीलार्थीगण ने यह अपील न्यायालय-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर जिला बालाघाट तत्कालीन पीठासीन अधिकारी {श्री जी.एस. मंडलोई} द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 23ए/2014, बिसनलाल वगैरह बनाम श्रीमती गोडिनबाई वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.01.2015 से परिवेदित होकर यह नियमित अपील पेश की है।

2. पक्षकारों के मध्य स्वीकृत तथ्य यह है कि वादीगणों के पूर्वज केहरसिंह और बोधनसिंह दो भाई थे।

3. वादीगणों के वाद का सार यह है कि तालन मूल पुरुष के पुत्र केहरसिंह (फौत), बोधनसिंह है। केहरसिंह की पत्नि झमलीबाई (फौत) है। केहरसिंह, झमलीबाई की संतान भगवानसिंह (फौत), भागोबाई (पुत्री) वादी क्रमांक 2, भगोनाबाई (पुत्री) वादी क्रमांक 3, बिसनसिंह (पुत्र) वादी क्रमांक 1 है। भगवानसिंह की पत्नि हुलियाबाई वादी क्रमांक 5 है। भगवानसिंह और हुलियाबाई की संतान चैतराम वादी क्रमांक 6, हंसराम वादी क्रमांक 7,

संपत्तियाबाई (पुत्री) वादी क्रमांक 4, सुहबतिया (पुत्री) वादी क्रमांक 8 और राजकुमार (पुत्र) वादी क्रमांक 9 है। वादीगण ओझा जाति के होकर अनुसूचित जाति के सदस्य हैं तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 से 7 अहीर जाति के होकर पिछड़ी जाति के हैं। वादग्रस्त भूमि कृषि प्रयोजन की भूमि होने से प्रतिवादी क्रमांक 8 म0प्र0 राज्य को पक्षकार बनाया है से कोई अनुतोष नहीं चाहा है। अतः वादभूमि सीलिंग एक्ट की सीमा से अधिक भूमि नहीं है।

4. वादीगण के पूर्वज मौजा राम्हेपुर प0ह0नं0 52 तहसील, बैहर जिला बालाघाट में खसरा क्रमांक 51 रकबा 14.40 एकड़ जमा 2.12 रुपये था। मूल पुरुष तालन के पुत्र बोधनसिंह निःसंतान (फौत) हो गये थे। वादीगणों के द्वारा केहरसिंह द्वारा ब्रिटिश शासन काल में उक्त भूमि प्राप्त की थी। उन्हें सन् 1955 में उक्त भूमि का भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो चुका था। केहरसिंह बीमार हो चुका था। वह इलाज के लिए जामुनपानी चिलपी जिला कर्बधा, छत्तसीगण इलाज कराने गया था। प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 के पिता को अधिया बटाई से दिया था। मवेशी गाय, बैल, भैंस, बकरियां रतनसिंह को चराने के लिए दी थीं।

5. प्रतिवादीगण के पूर्वज फंदी पिता असरू वाद भूमि में फसल कमाकर केहरसिंह को देते थे। फंदी के फौत होने के बाद उनके पुत्रों को अधिया बटाई पर भूमि दी थी।

6. वर्ष 2010 में वादीगण एकत्र हुए और उन्होंने तय किया कि वादग्रस्त भूमि स्वयं कास्त करेंगे, तब प्रतिवादीगण ने उनसे कहा कि आप लोगों ने वादभूमि पर अलग-अलग मकान क्यों बना लिये हैं, तब उन्होंने कहा कि वादभूमि उनके नाम की है वे मालिक हैं। वादीगणों को शंका हुई पर पटवारी से मिलने पर पाया कि वादभूमि में से 6.40 एकड़ पर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। पटवारी से पूछने पर सही उत्तर नहीं दिया। वादीगण ने पुराने दस्तावेज प्राप्त किये, तब पाया कि वर्ष 1954-55 में तालन के नाम भूमि दर्ज है। खसरा नम्बर 51/1 रकबा 6.40 एकड़ भूमि फंदी के नाम पर खरीदने के कारण दर्ज हुई है। यदि केहरसिंह ने फंदी को 6.40 एकड़ भूमि विक्रय कर दी थी तो 8 एकड़ भूमि शेष बचना था, जो शेष नहीं थी। विक्रय-विलेख दिनांक 08.02.1958 विधि विरुद्ध है। संशोधन पंजी दिनांक 25.01.1961 एवं संशोधन पंजी दिनांक 08.03.1958 को प्रभाव शून्य घोषित कराया जाना आवश्यक है। दिनांक 31.03.2011 को वादकारण

उत्पन्न हुआ, तब राजस्व अभिलेखों की नकल प्राप्त कर दिनांक 26.09.2012 को अपर कलेक्टर, बालाघाट के समक्ष सिविल न्यायालय में वाद संस्थित करने का आदेश पारित किया। घोषणा हेतु मूल्यांकन 1000/-रुपये पर 500/-रुपये न्यायालय शुल्क अदा है। विक्रय-विलेख दिनांक 08.02.1958 और संशोधन पंजी दिनांक 25.01.1961 एवं 08.03.1958 को शून्य घोषित किये जाने हेतु 1000/-रुपये मूल्यांकन 120/-रुपये और न्यायालय शुल्क अदा है। कब्जा प्राप्ति हेतु लगान का 20 गुना 28/-रुपये पर 10/-रुपया कुल न्यायालय शुल्क की अदा किया जाना लेख है।

7. प्रतिवादी क्रमांक 1 गोंडिनबाई, प्रतिवादी क्रमांक 3 मोहनलाल, प्रतिवादी क्रमांक 5 बलदेव, प्रतिवादी क्रमांक 6 देवनसिंह ने संयुक्त वादोत्तर पेश किया है। स्वीकृत तथ्य को छोड़कर वादपत्र के शेष अभिवचनों को कंडिकावार अस्वीकार किया है। विशिष्ट कथन करते हुए लेख किया है कि वादीगण के पूर्वज केहरसिंह, बोधनसिंह वल्द तालन, जाति ओझा, ग्राम रामहेपुर, प0ह0नं0-52 तहसील बैहर जिला बालाघाट में खसरा नम्बर 51 रकबा 14.40 एकड़ भूमि थी। केहरसिंह और बोधनसिंह ग्राम जामुनपानी चले गये थे उन्हें रूपयों की आवश्यकता होने से दिनांक 08.02.1958 को उक्त भूमि में से 6.40 एकड़ भूमि फंदी पिता छतरन को 8 एकड़ भूमि बंजारी वल्द कोदू को बजरिये विक्रय कर पंजीयन करा दिया था जो वादीगण पर बंधनकारी है। क्रय दिनांक से अर्थात् 50 वर्ष से अधिक समय से प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है।

8. वादीगण द्वारा प्रथम बार दिनांक 06.12.2010 धारा 170(ख) म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के अधीन अनुविभागीय अधिकारी, बैहर के न्यायालय में राजस्व प्रकरण क्रमांक-2अ-23 वर्ष 2010-11 का पेश किया था। जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 31.03.2011 को निरस्त किया था जिसकी अपील अपर कलेक्टर बालाघाट के न्यायालय में पेश किये जाने पर राजस्व प्रकरण क्रमांक-91अ/23 वर्ष 2010-11 का पेश किया था जो दिनांक 26.09.2012 को निरस्त किया गया है। दिनांक 09.04.2013 को यह वाद पेश किया है जो परिसीमा बाह्य है, उचित न्यायालय शुल्क अदा नहीं है। पंजीयन विक्रय विलेख पश्चात् म0प्र0 भू-राजस्व संहिता दिनांक 21.09.1959 को अधिसूचित होने से और दिनांक 02.10.1959 को प्रभावशील हुआ है। धारा 165 का भूतलक्षी प्रभाव नहीं है वाद झूठा एवं बनावटी है, निरस्त किया जावे और 2,000/-रुपये क्षतिपूर्ति वादीगण से प्रतिवादीगण को दिलाई जावे।

9. प्रस्तुत अपील का सार यह है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण और प्रतिवादीगण के कथन का त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाला है। पेश दस्तावेजों का सही मूल्यांकन नहीं किया है, अनुचित प्रक्रिया का पालन किया गया है। पेश न्यायदृष्टांतों की सही मीमांशा नहीं की है। वाद में की गई मांगनी स्वीकार न कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.2015 अवैध है जिसे अपास्त किया जाकर अपील स्वीकार किये जाने की याचना की है।

10. अपील के निराकरण हेतु अधोलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किए जाते हैं :-

क्या न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री डी.एस.मंडलोई द्वारा मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य मूल्यांकन में त्रुटि किये जाने से अथवा तथ्य की त्रुटि किये जाने से अथवा विधि की त्रुटि किये जाने से निर्णय दिनांक 31.01.2015 हस्तक्षेप योग्य है?

विचारणीय प्रश्न का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष:-

11. उभयपक्ष द्वारा किये गये तर्कों को विचार में लिया गया। अपीलार्थीगण की ओर से श्री दीपक पंचभावे अधिवक्ता एवं श्रीमती रंजना पंचभावे अधिवक्ता द्वारा तर्क कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थीगण ओझा जाति के हैं जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आती है। इसलिए म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 12 के अधीन धारा 165 लगायत 170(ख) म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के प्रावधान के आधार पर कथित विक्रय विलेख दिनांक 08.02.1958 से उत्तरवादीगण/प्रतिवादीगण को कोई स्वत्व अर्जित नहीं हुआ है। इसलिए उन्हें निष्प्रभावी घोषित करने के लिए वाद पेश किया है। अपीलार्थीगण की ओर से लिखित तर्क पेश किया गया का अध्ययन किया गया। लिखित तर्क के साथ संलग्न न्यायदृष्टांतों की छायाप्रतियां विचारण न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संलग्न है, का अवलोकन किया गया। वे दोनों न्यायदृष्टांत सदस्य राजस्व मंडल के हैं जो सिविल न्यायालय पर बंधनकारी नहीं है।

12. उत्तरवादी द्वारा अधिवक्ता श्री वाय.आर.बिसेन ने तर्क कर निवेदन किया है कि सी.पी.एंड. बरार लेंडटेनेन्सी एक्ट अथवा म0प्र0 मालगुजारी अधिनियम 1917 में म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 12

जिसमें धारा 157 लगायत 180 तक शामिल है में धारा 165 और 170, 170क, 170ख के प्रावधान के समान प्रावधान नहीं थे इसलिए प्रस्तुत वाद उक्तानुसार इस धारा में सुनवाई योग्य नहीं है इसलिए अपील भी सुनवाई योग्य नहीं है।

13. श्री वाय.आर.बिसेन अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि यह अधिनियम दिनांक 02.10.1959 को प्रभावशील होने से इसका प्रभाव प्रचलित विधि में इस अधिनियम के अध्याय 12 की धारा 165 और 170क,ख के समान प्रावधान नहीं थे। धारा 170क म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में वर्ष 1976 को किये गये तृतीय संशोधन द्वारा स्थापित किया गया है तथा धारा 170ख म0प्र0 भू-राजस्व संहिता संशोधित अधिनियम 1980 द्वारा अंतःस्थापित किया गया है की उपधारा 1 अनुसार भी यह मामला प्रचलन योग्य नहीं है। इसलिए अपीलार्थीगण/उत्तरवादीगण के पूर्वज फंदी के पक्ष में निष्पादित विक्रय-विलेख दिनांक 08.02.1958 को निष्प्रभावी या शून्य घोषित करे जाने का अधिकारी नहीं है को विचार में लिया गया।

14. शियाराम एवं अन्य विरुद्ध डलिया एवं अन्य आई.एल.आर.(2009) एम.पी.408 अपीलार्थी की ओर से पेश किया गया, का अध्ययन किया गया। इस न्यायदृष्टांत में भी दिनांक 02.10.1959 से 1980 के संशोधन की अवधि के बीच में यदि आदिम जनजाति के सदस्य के आधिपत्य की भूमि कपटपूर्वक भिन्न जाति का व्यक्ति अपने आधिपत्य में ले लेता है तो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/अनुविभागीय दण्डाधिकारी ऐसे कपटपूर्ण प्राप्त आधिपत्य को आधिपत्य विहीन कर ऐसे आदिम जनजाति के सदस्य को उसकी भूमि का आधिपत्य लौटायेगा। इस प्रकार यह आवश्यक है कि दिनांक 02.10.1959 को या इसके पश्चात् 1980 के संशोधन की तारीख के बीच आदिम जनजाति के सदस्य को उसके भूमि से कपटपूर्वक हटाया गया हो जो इस मामले में नहीं है। अभिलेख पर पेश दोनों विक्रय विलेख दिनांक 02.10.1959 के पूर्व के निष्पादित विक्रय विलेख हैं।

15. उक्त दोनों प्रदर्श डी-7 और प्रदर्श डी-8 के विक्रय विलेख दिनांक 07.02.1958 के होकर उपपंजीयक के समक्ष पंजीकृत है। प्रदर्श डी-8 द्वारा विक्रय की गई 6.40 एकड़ भूमि को चुनौती दी गई है किन्तु इस दस्तावेज के खण्डन में कोई साक्ष्य अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से अभिलेख पर नहीं है। दस्तावेज 30 वर्ष से अधिक पुराना है। इसलिए उसके सही होने की उपधारणा प्रतिवादी/उत्तरवादी पक्ष के पक्ष में है।

16. अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के मूल्यांकन में विचारण न्यायालय द्वारा त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा तथ्य की त्रुटि किया जाना अभिलेख पर नहीं है तथा विधि की त्रुटि किया जाना अभिलेख पर नहीं है। प्रश्नाधीन निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 30.01.2015 की पुष्टि की जाती है।

17. परिणामतः प्रस्तुत अपील स्वीकार किए जाने योग्य न होने से अस्वीकार कर निरस्त की जाती है।

{अ} उभयपक्ष का अपील व्यय अपीलार्थीगण वहन करेंगे।

{ब} अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।

{स} तदनुसार डिक्री बनायी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर मेरे डिक्टेसन पर टंकित।
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही / —

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

सही / —

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

DECREE IN APPEAL FROM ORIGINAL DECREE

(Civil Procedure Code, 1908, Order XLI, Rule 35)

CIVIL APPEAL No. 29 OF 2017

IN THE COURT OF माखनलाल झाड़ द्वि.अ.जि. न्यायाधीश, बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर

1. बिसनलाल पिता स्व. केहरसिंह उम्र 58 वर्ष, जाति ओझा, साकिन बोदा (गढ़ी) तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. श्रीमती भागोबाई पति स्व. भोलाराम उम्र 65 वर्ष, जाति ओझा साकिन परसाटोला तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
3. श्रीमती भगोनाबाई पति स्व. चरणसिंह उम्र 60 वर्ष जाति ओझा साकिन अगनतरा तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
4. श्रीमती संपतियाबाई पति मेहतर उम्र 32 वर्ष जाति ओझा साकिन बोदा (गढ़ी) तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
5. श्रीमती हुलसियाबाई पति स्व. भगवानसिंह जाति ओझा, उम्र 58 वर्ष,
6. चैतराम पिता स्व. भगवानसिंह, उम्र 38 वर्ष, जाति ओझा,
7. हंसराम पिता स्व. भगवानसिंह, उम्र 35 वर्ष जाति ओझा
8. श्रीमती सहबतियाबाई पति संतोष उम्र 30 वर्ष जाति ओझा,
9. राजकुमार पिता स्व. भगवानसिंह, उम्र 29 वर्ष, जाति ओझा
क्र. 5 से 9 निवासी—भीमडोंगरी तहसील बिछिया जिला मंडला (म.प्र.)

— — — — अपीलार्थीगण

— // // विरुद्ध // // —

1. श्रीमती गोंडिनबाई पति स्व. रतनसिंह उम्र 60 वर्ष, जाति अहीर, साकिन रम्हेपुर तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. सोमलाल पिता स्व. रतनसिंह उम्र 35 वर्ष जाति अहीर साकिन रम्हेपुर तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
3. मोहनलाल पिता स्व. रतनसिंह उम्र 30 वर्ष जाति अहीर, साकिन रम्हेपुर तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
4. श्रीमती बैसाखिनबाई पति स्व. बुद्धसिंह उम्र 65 वर्ष जाति अहीर, साकिन रम्हेपुर तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
5. बलदेव पिता स्व. बुद्धसिंह उम्र 30 वर्ष, जाति अहीर, साकिन रम्हेपुर तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
6. देवनसिंह पिता स्व. बुद्धसिंह, उम्र 40 वर्ष जाति अहीर, साकिन रम्हेपुर तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
7. रमेश पिता झामसिंह उम्र 35 वर्ष, जाति अहीर, साकिन रम्हेपुर तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
8. म0प्र0 राज्य तर्फे कलेक्टर जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — उत्तरवादीगण

=====

Appeal from the decree of the Court व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैहर जिला बालाघाट dated the 30 day 01-2015 Civil Suit No. 23A of 2014.

This appeal coming on for hearing on the 05 day of Dec. 2017 before me in the presence of-

श्री दीपक पंचभावे एवं श्रीमती रंजना पंचभावे अधिवक्तागण. for the appellant and of श्री वाय0आर0 अधिवक्ता for the respondent

It is ordered and decreed that -

प्रस्तुत अपील स्वीकार किए जाने योग्य न होने से अस्वीकार कर निरस्त की जाती है।

- {अ} उभयपक्ष का अपील व्यय अपीलार्थीगण वहन करेंगे।
- {ब} अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।
- {स} तदनुसार डिक्री बनायी जावे।

P.T.O.

The costs of this appeal, as detailed below amounting to Rupees 210/- are to be Paid by the **Appellants.**

~~The cost of the original suit be paid by the~~

Given under my hand and the seal of the Court, this **07 day of Dec. 2017.**

सही / -

(माखनलाल झोड़)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

COSTS OF APPEAL

	Appellant	Amount	Respondent	Amount
1.	Stamp for memorandum of appeal objections or Petitions	630.00	Stamp for Power	10.00
2.	Stamp for Power	10.00	Stamp for Petition	--
3.	Stamp for Exhibits	-	Service of Processes	--
4.	Service of Processes	20.00	Pleader's fee on Rs. (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	200.00
5.	Pleader's Fee on Rs..... (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	200.00		--
6.	Translation Fee	--		--
	Total :-	860.00	Total :-	210.00
(आठ सौ साठ रु. सिर्फ)			(दो सौ दस रु सिर्फ)	

सही / -

(माखनलाल झोड़)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर